



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-03092025-265940
CG-WB-E-03092025-265940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3940]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2025/भाद्र 12, 1947

No. 3940]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2025/BHADRA 12, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

(सड़क सुरक्षा परियोजना)

अधिसूचना

कोलकाता, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 4045(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("साहिबगंज स्टेशन के पश्चिम केबिन के पास (किमी 231/9-232/0) मालदा मंडल में लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 82/B/T के स्थान पर आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु साहिबगंज जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, झारखंड राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**(Eastern Railway)****(ROAD SAFETY PROJECT)****NOTIFICATION**

Kolkata, the 6th August, 2025

S.O. 4045(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-82/B/T (Km 231/9-232/0)** near west cabin of Sahibganj station of Malda Division.(Reference: -IRPSM Project ID - 02.03.30.24.1.37.003)” as a Special Railway Project for acquisition of land in Sahibganj District in the State of Jharkhand, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con

अधिसूचना

कोलकाता, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 4046(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड(37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, (" मालदा मंडल के **NFK-AZ** खंड पर **DGLE** और **NILE** स्टेशनों के बीच किलोमीटर 239/9-10 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 43 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण।") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु मुरशिदाबाद जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, **पश्चिम बंगाल** राज्य में **विशेष रेल परियोजना** के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 6th August, 2025

S.O. 4046(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-43(Km 239/9-10)** between stations **DGLE-NILE** on **NFK-AZ** Section of Malda Division” as a Special Railway Project for acquisition of land in Murshidabad District in the State of West Bengal, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con

अधिसूचना

कोलकाता, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 4047(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("मालदा मंडल के जमालपुर- मुंगेर (JMP-MGR) खंड के बीच किलोमीटर 05/07-08 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 2E के स्थान पर आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु मुंगेर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 6th August, 2025

S.O. 4047(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies "Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-2E at Km 05/07-08** between JMP-MGR Section of Malda Division" as a Special Railway Project for acquisition of land in Munger District in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con

अधिसूचना

कोलकाता, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 4048(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड(37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("मालदा मंडल के जमालपुर-किउल खंड पर MSDN-DRH के बीच किलोमीटर 370/7-8 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 19T के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु मुंगेर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 6th August, 2025

S.O. 4048(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-19T at Km 370/7-8** between MSDN-DRH on JMP-KIUL Section of Malda Division.” as a Special Railway Project for acquisition of land in Munger District in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con

अधिसूचना

कोलकाता, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 4049(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेन्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("खलटीपुर से चामाग्राम के बीच, किलोमीटर 270/6-7 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 49 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु मालदा जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबन्धित कराने हेतु, पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 6th August, 2025

S.O. 4049(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Khaltipur-Chamagram - Road Over Bridge in lieu of **level crossing No.-49 at Km. 270/6-7**” as a Special Railway Project for acquisition of land in Malda District in the State of West Bengal, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con

अधिसूचना

कोलकाता, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 4050(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेन्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("मालदा मंडल के अकबरनगर-सुल्तानगंज खंड के बीच किलोमीटर 328/8-9 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 9 के स्थान पर आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु भागलपुर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 6th August, 2025

S.O. 4050(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies "Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-9 at Km. 328/8-9** between Akbarnagar-Sultanganj of Malda division" as a Special Railway Project for acquisition of land in Bhagalpur district in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con

अधिसूचना

कोलकाता, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 4051(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेन्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("मालदा मंडल के एकचरी-घोघा स्टेशनों के बीच किलोमीटर 279/9-280/0 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 6 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु भागलपुर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 6th August, 2025

S.O. 4051(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-6 at Km. 279/9-280/0** between Ekchari-Ghogha of Malda division” as a Special Railway Project for acquisition of land in Bhagalpur district in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con

अधिसूचना

कोलकाता, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 4052(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड(37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, (“मालदा मंडल के भागलपुर-नाथनगर खंड के बीच किलोमीटर 306/0-1 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 1/A के स्थान पर आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण”) परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु भागलपुर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 6th August, 2025

S.O. 4052(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-1/A at Km. 306/0-1** between Bhagalpur-Nathnagar of Malda division.” as a Special Railway Project for acquisition of land in Bhagalpur district in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con